भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2543**

(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

ryxkuk l vk;kr@fu;kr

2543- Jh vueyk jor jMMh%

D;k okf.kT; vkSj m|kx e=h ;g crkus dh di k djxs fd%

¼d½ xr ikap o"kk e iR;d o"k d nkjku ryxkuk jkT; l oLrqvk vkSj lokvk d dqy fu;kr vkSj vk;kr dk iFkd C;kjk D;k g(vkSj

¼[k½ ryxkuk jkT; l oLrqvk vkSj lokvk d fu;kr e lq/kkj grq xr ikap o"kk d nkjku D;k dne mBk, x, g\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 2014-15 से अगस्त, 2019 तक तेलंगाना राज्य से पण्यवस्तुओं का निर्यात निम्नलिखित है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2014-15	13431.62
2015-16	35439.23
2016-17	40239.02
2017-18	42363.27
2018-19	50096.84
2019-20 (अगस्त, 2019 तक) (**)	20945.08

[आंकड़ों का स्रोत: डीजीसीआईएस (**) 2019-20 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं]

(ख) सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

वाणिज्य विभाग ने 2018 में एक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है जिसमें उपयुक्त नीतिगत साधनों के जरिये भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। कृषि निर्यात नीति के तहत, तेलंगाना में रंगारेड्डी, महबूबनगर एवं वारंगल जिलों को आमों के संवर्धन के लिए, कलस्टर जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है, मिर्च के संवर्धन के लिए खम्माम एवं वारंगल जिलों को कलस्टरों के रूप में चिन्हित किया गया है। एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के निर्यातकों के लिए,विशेष रूप से आम, गैर बासमती चावल, खीरा इत्यादि के लिए विभिन्न सुग्राहीकरण। निर्यात संवर्धन जागरुकता कार्यक्रमों, क्रेता-विक्रेता बैठकों,

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। एपीडा द्‌वारा अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, बाजार संवर्धन एवं जैविक उत्पादों के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार की कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माल भाड़ा क्षति के न्यूनीकरण हेतु सहायता प्रदान कराने के लिए एक 'विशिष्ट कृषि उत्पाद के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता स्कीम' भी है।

मसाला बोर्ड ने राज्य में उत्पादित मसालों के समग्र विकास के लिए वारंगल में मसाला विकास एजेंसी (एसडीए) की स्थापना की है। गुणवत्तापूर्ण निर्यात योग्य अधिशेष का लाभ उठाने के लिए बोर्ड मसालों की फसल उपरांत गुणवत्ता सुधार के लिए, टरमरिक बॉयलर/टरमरिक पोलिशर्स इत्यादि के लिए किसानों/कृषक समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन कराने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

भारत सरकार निर्यातों का संवर्धन करने एवं राज्यों से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल माहौल का सृजन करने हेतु उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संवाद सुनिश्चित करती है। वाणिज्य विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों के दो प्रतिनिधिमंडलों ने राज्य से निर्यातों से संबंधित मुद्‌दों पर चर्चा करने के लिए 04/03/2016 और 13/04/2018 को तेलंगाना राज्य का दौरा किया।

वाणिज्य विभाग के आग्रह पर, तेलंगाना राज्य ने एक वरिष्ठ अधिकारी को निर्यात आयुक्त के रूप में नामित किया है जो राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सभी निर्यात प्रयासों को समन्वित कर सकता है और सिंगल विंडो के रूप में कार्य कर सकता है। इसी प्रकार वाणिज्य विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्‌दों पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करने हेतु नामित किया गया है

****